न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

{समक्षः पीठासीन अधिकारी, हितेन्द्र सिंह सिसौदिया}

Registration No. CRA 166/2022
Filing No. 5854/2022
CNR No. MP3601-006421-2022
Filing Date 18.10.2022

(1) बल्देव सिंह उर्फ बब्बू पुत्र रूपसिंह ठाकुर उम्र 55 वर्ष

(2) विक्रम सिंह पुत्र शंकर सिंह ठाकुर उम्र 40 वर्ष

(3) मंगलसिंह पुत्र रूपसिंह ठाकुर उम्र 60 वर्ष

(4) इंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह उम्र 66 वर्ष

(5) थानसिंह पुत्र नारायण सिंह ठाकुर उम्र 34 वर्ष

सभी निवासी ग्राम बडमाढ़ई थाना कोतवाली जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

.....अपीलार्थीगण/आरोपीगण

—:: वि रू द्ध ::—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी/अभियोजन

सत्यप्रतिलिपि नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.05.2023

Date of Order or Poroceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.05.2023	**प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष पेश।** अपीलार्थीगण/आरोपीगण बल्देव सिंह उर्फ बब्बू, विक्रम सिंह, मंगलसिंह, इंदर सिंह, थानसिंह सहित श्री अनिल त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी/अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री श्रवण खरे उपस्थित। आहतगण सोबरन सिंह सहित व शेष द्वारा रविन्द्र, दीपेन्द्र	

	श्री मनोज अहिरवार अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण आहतगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा–320(1) द0प्र0सं0 पर विचार हेतु पेश। आहतगण पप्पू अहिरवार व श्रीमती उमा अहिरवार की ओर से पूर्व तिथि पर अपीलार्थीगण/आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमति चाहने बावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(5) के एवं एक अन्य आवेदन अंतर्गत धारा–320(1) द0प्र0सं0 के स्वयं के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पेश किये गये थे। आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री मनोज अहिरवार द्वारा की गई थी। आहतगण ने अपनी पहचान के संबंध में अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किये थे, जिनकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। अपीलार्थीगण/आरोपीगण को विचारण न्यायालय द्वारा धारा–325/34, 323/34 भा0द0सं0 में दण्डादिष्ट किया गया है तथा उक्त अपराध आहत व्यक्ति द्वारा शमन योग्य हैं। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन अंतर्गत धारा–320(5) द0प्र0सं0 के स्वीकार कर राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उभयपक्ष की ओर से एक अन्य आवेदन अंतर्गत धारा–320(1) द0प्र0सं0 के स्वयं के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पेश किये गये थे, जिन पर विचार हेतु प्रकरण आज लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत है। अपील के संबंध मे विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित होता है कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ (श्री अमित निगम) द्वारा आपराधिक प्रकरण (**RCT 141/2016**) में दिनांक 21.09.2022 को निर्णय घोषित कर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को आहत सोबरन सिंह के संबंध में 325/34 भा0द0सं0 में 06 माह के सश्रम कारावास व 2000–2000/–रुपये के अर्थदण्ड से एवं आहत रविन्द्र सिंह व दीपेन्द्र सिंह के संबंध में धारा–323/34 भा0द0सं0 में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500–500/– रुपये अर्थात कुल 3000–3000/–रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से यह आपराधिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

उपस्थित आहतगण सोबरन सिंह, रविन्द्र सिंह, दीपेन्द्र सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने, अपीलार्थीगण/आरोपीगण के साथ स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा करना व्यक्त कर अपीलार्थीगण उनके ही ग्राम के व्यक्ति होना बताते हुए उनके मध्य अच्छे संबंध स्थापित होना बताया था।

भा0द0वि0 की धारा–325/34 आहत व्यक्ति द्वारा अपराध का शमन किये जाने की स्थिति में न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है तथा धारा–323/34 न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा योग्य अपराध हैं। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आपसी राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–320(1) द0प्र0सं0 स्वीकार योग्य होने से बाद विचार स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण (**RCT 141/2016**) में दिनांक 21.09.2022 को दण्डादिष्ट किए गए थे। राजीनामा के आधार पर अपीलार्थीगण/आरोपीगण बल्देव सिंह उर्फ बब्बू, विक्रम सिंह, मंगलसिंह, इंदर सिंह, थानसिंह को आहत सोबरन सिंह के संबंध में भा0द0वि0 की धारा–325/34 के अपराध के आरोप से तथा आहत रविन्द्र व दीपेन्द्र सिंह के संबंध में धारा–323/34 भा0द0सं0 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अपीलार्थीगण/आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

अपीलार्थीगण/आरोपीगण के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यदि कोई अर्थदण्ड की राशि जमा की गयी हो, तो उसे विधिवत आरोपीगण को वापिस की जावे।

विचारण न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस हो।

आपराधिक प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल चार बांस की लाठी के निराकरण के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार निराकृत की जावें।

	प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे। सही/– **(कमलकांत विश्वकर्मा)** अभिभाषक सदस्य नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक–1 टीकमगढ़ म0प्र0 सही/– **(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)** **सत्र न्यायाधीश एवं** **पीठासीन अधिकारी,** नेशनल लोक अदालत, खण्डपीठ क्रमांक–1 टीकमगढ़ (म0प्र0)	